भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

सं.सीप्ज़-सेज़/इस्टेट/जीसीए/449/2016-17/वॉल्यू-I/ 12709 दिनांक: 16/05/2018

# निविदा आमंत्रण सूचना

**विषयः- सीप्ज़ – सेज़ आवासीय संकुल सहित सीप्ज़ – सेज़ परिसर में वर्ष 2017-18 के लिए गटर अपशिष्ट की सफाई, हटाने तथा निपटान के लिए अर्धवार्षिक संविदा।**

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ पंजीकृत/नामिकागत वेंडरों से सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण तथा सीप्ज़ – सेज़ आवासीय संकुल में निर्धारित स्थानों / अवस्थानों "जैसा है जहा है" के आधार पर गटर अपशिष्टों की सफाई, गटर अपशिष्टों के संग्रहण तथा उनके दैनिक आधार निपटान हेतु अर्धवार्षिक संविदा आमंत्रित करता है। सीप्ज़ – सेज़ परिसर के गटर की सफाई तथा सीप्ज़ – सेज़ आवासीय संकुल से गटर अपशिष्टों के संग्रहण तथा निपटान का कार्य दैनिक आधार करना होगा।

I. **निविदा प्रस्तुत करने की क्रियाविधि के संबंध में:**

1. निविदाएं दो बोली प्रणाली के रूप में प्रस्तुत की जाए अर्थात निम्नलिखित दो अलग-अलग लिफाफे में:-

   **लिफाफा 1** के ऊपर “तकनीकी बोली” लिखा गया हो जिसमें उप पैराग्राफ (III) में यथाउल्लिखित तकनीकी पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ रखे जाएं।
   **लिफाफा 2** जिस पर “वित्तीय बोली” लिखा गया हो जिसमें उप पैराग्राफ (IV) में यथाउल्लिखित बोली मूल्य रखा जाए।

2. **दोनों मुहरबंद लिफाफे एक साथ एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए जिसके ऊपर लिखा गया हो सीप्ज़ – सेज़ आवासीय संकुल सहित सीप्ज़ – सेज़ परिसर में वर्ष 2017-18 के लिए गटर अपशिष्ट की सफाई, हटाने तथा निपटान के लिए अर्धवार्षिक संविदा तथा यह लिफाफा प्रबंधक (संपदा), सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096** को संबोधित किया जाए।

3. उपर्युक्त उल्लिखित मुहरबंद लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक **<u>05/06/2018 को अपराह्न 2.30 बजे तक</u>** डाक/कुरियर द्वारा अथवा स्वयं आवेदक द्वारा अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया जाएगा अथवा यह विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, मुंबई के भूमितल पर स्थित आवक अनुभाग के निकट रखे निविदा बॉक्स में डाला जा सकता है।

4. निविदा जो विलंब से प्राप्त किए जाएंगे अथवा जो मुहरबंद नहीं होंगे अथवा जिनके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वे अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

5. निविदा पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं तथा इन पर कंपनी/फर्म की सील लगाई जाए तथा जो मुद्रित फॉर्म में पूर्ण हों।

6. निविदा के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक सुधार / विलोप / परिवर्धन / लिप्त लेखन/ चिपकाई गई पर्ची पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।

7. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. बोलीदाता को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं के प्राधिकार का प्रमाणपत्र (जोकि व्यक्ति, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म के संघ के रूप में लागू हो) प्रस्तुत करना होगा।

9. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस पर प्रत्येक पार्टनर द्वारा अलग-अलग अवश्य हस्ताक्षर किया जाए अथवा किसी पार्टनर की अनुपस्थिति में, उनकी ओर से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किए जाने का मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

10. बोलीदाता शब्दों में तथा अंकों में उल्लिखित दरों का उल्लेख करेंगे। यदि शब्दों में कोट की गई दरें, अंकों में कोट की गई दरों से भिन्न हों, तो इन दोनों में से जो भी दर अधिक होगी, वही दर सही मानी जाएगी।

11. कोटेशन की दर के साथ **बयाना जमा राशि (ईएमडी) के रूप में 1,00,000/- रू. (एक लाख रूपए मात्र)** का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर जो कि **"सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि" मुंबई** के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित हो, देना होगा। नकद भुगतान, चेक तथा भुगतान का अन्य कोई तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. ईएमडी तथा पैरा III उल्लिखित आवश्यक दस्तावजों के बिना प्रस्तुत किए जाने वाले कोटेशन संक्षेपतः अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

13. बोलीदाता निविदा खोले जाने के समय स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकते है।

14. समिति यदि चाहे तो, बिना कोई कारण बताए बोलीदाता की पात्रता से संबंधित किसी एक अथवा अन्य शर्तों को शिथिल कर सकती है, उसमें / उनमें संशोधन कर सकती है। बोली प्रस्तुत करने के पश्चात इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की जा सकती है।

15. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय तथा किसी भी अवस्था में कोई अथवा सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण का निर्णय बोलीदाता के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

16. **कोटेशन वापस लिए जाने की स्थिति में ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।**

## (II) निविदा का खोला जानाः

1. लिफाफा। जिसके ऊपर लिखा गया हो, **"तकनीकी बोली" दिनांक 05/06/2018 को अपराह्न 03.30 बजे,** विकास आयुक्त कार्यालय, 2रा तल, सीप्ज़-सेज़ अंधेरी (पूर्व), मुंबई में बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो निविदा समिति तथा इसके लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना चाहे, खोला जाएगा।

2. लिफाफा-2 जिसके ऊपर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो, के खोले जाने की तारीख तथा समय की सूचना लिफाफा-**1** के खोले जाने के समय सफल बोलीदाता को दी जाएगी।

3. समिति द्वारा "तकनीकी पात्रता" के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा। दस्तावेजों की संवीक्षा किए जाने के पश्चात समिति पात्र बोलीदाता का चयन करेगी।

## (III) तकनीकी बोली के आधार पर पूर्व अर्हता का मानदंडः

लिफाफा 1 जिसके ऊपर लिखा गया हो **"तकनीकी बोली"** में निम्नलिखित दस्तावेज़ रखे जाएं ताकि इनके आधार पर नामिकायन के लिए तकनीकी पात्रता का निर्धारण किया जा सके।

1. बोलीदाता सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ पंजीकृत/नामिकागत हों। अपंजीकृत / अनामिकागत वेंडरों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. **"सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण निधि"**, मुंबई के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में **1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र)** की बयाना जमा राशि (ईएमडी)।
3. बोलीदाता को गटर अपशिष्ट के निपटान हेतु वैध पंजीकृत प्रमाणपत्र / महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. पैन, जीएसटी पंजीकरण तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए आयकर की प्रतिलिपियां।
5. निविदा दस्तावेज के साथ इस बोलीदाता / फर्मों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस आशय की स्वघोषणा प्रस्तुत की जाए कि उन्होंने निविदा के निबंधन एवं शर्तों को अच्छी तरह समझ कर स्वीकार कर लिया है।
6. बोलीदाता की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में, बोलीदाता को विधिवत नोटरीकृत 10/- रू. के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. महाराष्ट्र में स्थित केंद्रीय सरकार / केंद्रीय सरकार के उपक्रमों / महाराष्ट्र सरकार / स्वायत्त निकायों / औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्मों / बैंकों द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान दिए गए संविदा से संबंधित कार्यादेश का प्रमाण। उपर्युक्त विभागों / संगठनों के कम से कम 5 ग्राहकों की सूची संलग्न की जाए।
8. इस आशय का नोटरीकृत शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह घोषणा की गई हो कि किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय द्वारा आपके फर्म को न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।
9. इस आशय का वचनबंध की बोलीदाता सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा और न ही उप – ठेक पर देगा। वह आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेगा कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा।
10. बोलीदाता का मुंबई में व्यापार का मुख्य स्थान हो। इस संबंध में, निगमन प्रमाणपत्र, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र तथा दुकान तथा अधिष्ठान लाइसेन्स परिसर अधिभोग करने संबंधी करार, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि का दस्तावेज़ी प्रमाण तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना होगा।

## (IV) वित्तीय बोली के आधार पर पूर्व अर्हता का मानदंडः

1. लिफाफा 2 जिसके ऊपर **"वित्तीय बोली"** लिखा गया हो, केवल पात्र बोलीदाताओं के बीच ही खोला जाएगा।
2. लिफाफा 2 जिसके ऊपर वित्तीय बोली में दरें कोट की जाएं।
3. वित्तीय बोली में जैसा है जहा है के आधार पर **दरें कोट की जाएं (देय करों को छोड़कर)।**
4. गटर अपशिष्ट के वसूल की गई बिक्री आय को सीमा शुल्क सहित किमत के रूप में समझा जाएग किंतु इसमें सीप्ज़ – सेज़ आवासीय संकुल का गटर अपशिष्ट शामिल नहीं होगा।

**(महेश यादव)**
**संपदा प्रबंधक**
**सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण**

**संलग्नक – क**

**(I) मुख्य विवरणः**

1. फर्म का नामः
2. कार्यालय का पता
3. संपर्क नं.
4. ई-मेल का पताः

**(II) पूर्व अर्हता विवरणः**

1. बोलीदाता सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ पंजीकृत/नामिकागत हों।

2. **सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण निधि"**, मुंबई के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में **1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी)।**

3. ठेकेदार को गटर अपशिष्ट के निपटान हेतु वैध पंजीकृत प्रमाणपत्र / महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. पैन, जीएसटी पंजीकरण तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए आयकर की प्रतिलिपियां ।

5. **निविदा दस्तावेज के साथ इस बोलीदाता / फर्मों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस आशय की स्वघोषणा प्रस्तुत की जाए कि उन्होंने निविदा के निबंधन एवं शर्तों को अच्छी तरह समझ कर स्वीकार कर लिया है।**

6. महाराष्ट्र में स्थित केंद्रीय सरकार / केंद्रीय सरकार के उपक्रमों / महाराष्ट्र सरकार / स्वायत्त निकायों / औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्मों / बैंकों द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान दिए गए संविदा से संबंधित कार्यादेश का प्रमाण। उपर्युक्त विभागों / संगठनों के कम से कम 5 ग्राहकों की सूची संलग्न की जाए।

7. इस आशय का नोटरीकृत शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह घोषणा की गई हो कि किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय द्वारा आपके फर्म को न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

8. बोलीदाता की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में, बोलीदाता को विधिवत नोटरीकृत 10/- रू. के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. इस आशय का वचनबंध की बोलीदाता सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा और न ही उप – ठेक पर देगा। वह आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेगा कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा।

10. बोलीदाता का मुंबई में व्यापार का मुख्य स्थान हो। इस संबंध में, निगमन प्रमाणपत्र, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र तथा दुकान तथा अधिष्ठान लाइसेन्स परिसर अधिभोग करने संबंधी करार, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि का दस्तावेज़ी प्रमाण तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना होगा।

**संलग्नक – ख**

## " गटर अपशिष्ट के लिए वित्तीय बोली का फॉर्मेट "

| क्रम संख्या | विवरण | प्रति केजी दर (रू. में) (अंकों में) | प्रति केजी दर (रू.में) (शब्दों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | सीप्ज़ – सेज़ आवासीय संकुल सहित सीप्ज़ – सेज़ परिसर से गटर अपशिष्ट के हटाने / निपटान किए जाने में सीमा शुल्क तथा जीएसटी छोड़कर होगा। | | |

** दरों में सीमा शुल्क तथा जीएसटी शामिल नहीं किया जाए।*

हम वचन देते हैं कि हमारे द्वारा ऊपर दी गई दरों में संविदा अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा हम उचित कॉलमों में दर्शाई गई भुगतान अनुसूची को स्वीकार करते हैं।

सील के साथ निविदादाता का नाम
तथा पता एवं हस्ताक्षर

तारीख:

## : अन्य निबंधन तथा शर्तें :

1. सफल बोलीदाता को बोली के अंतिम रूप दिए जाने के तारीख से 7 दिनों के अंदर **5,00,000/-रू. (पाच लाख रूपए)** का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित डीडी के रूप में मुंबई में देय **"सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण निधि"** के पक्ष में करना होगा, निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान न करने पर संविदा रद्द/समाप्त कर दी जाएगी तथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी। **5,00,000/-रू. (पाच लाख रूपए)** के प्राप्त होने के पश्चात कार्य आदेश जारी किया जाएगा।

2. **5,00,000/-रू. (पाच लाख रूपए)** के प्राप्त किए जाने के पश्चात बोलीदाता को समतुल्य मूल्य के गटर अपशिष्ट स्वच्छ करने, उठाने तथा निपटान करने की अनुमति दी जाएगी। दुबारा बोलीदाता को समतुल्य मूल्य के अपशिष्ट उठाने के लिए **5,00,000/-रू. (पाच लाख रूपए)** जमा कराने होंगे। गटर की सफाई / अपशिष्टों के हटाने तथा इनके निपटान किए जाने का उक्त चक्रीय प्रक्रिया 6 महीने तक लागू रहेगी। कार्यादेश जारी किए जाने की तारीख से जैसा है जहा है की स्थिति के अनुसार 6 महीनों तक नियमित रूप से सारी सामग्रियां उठानी होंगी।

3. अपशिष्ट सामग्रियों को साफ करने, उठाने तथा हटाने का कार्य अभीक्षक अथवा प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्रतिनिधि की निगरानी में ही किया जाएगा।

4. गटर अपशिष्ट के साफ करने, उठाने, हटाने तथा निपटान के संबंध में होने वाले सभी व्यय का वहन सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। प्राधिकरण ऐसा कोई व्यय वहन नहीं करेगा।

5. सामग्रियों को फैलाने/सुखाने/अलग-अलग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. संपदा प्रबंधक द्वारा आवश्यक अनुमति जारी किए जाने के पश्चात ही इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थानों से ही गटर अपशिष्ट सामग्रीयों को साफ करने / उठाने तथा हटाने की अनुमति दी जाएगी।

7. सफल बोलीदाता संविदा अवधि के दौरान गटर की सारी सफाई के लिए जिम्मेदार होगा।

8. **<u>तुलन प्रक्रिया</u>:-** खाली वाहन का तुला चौकी पर वज़न लिया जाएगा। इसके पश्चात वाहन में गटर अपशिष्ट का लदान किए जाने के पश्चात वाहन का वज़न लिया जाएगा, यह कार्य अभीक्षक अथवा प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित किसी अन्य प्रतिनिधि की निगरानी में ही किया जाएगा। तुलन के अंतर को गटर अपशिष्ट का वज़न माना जाएगा।

9. **<u>बिलन</u>:-** गटर अपशिष्ट के वज़न का निर्धारण किए जाने के पश्चात बोली में स्वीकृत दरों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा बिल तैयार करवाया जाएगा। बिल पर लागू दरों का भुगतान भी सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

10. यह निविदा अहस्तांतरणीय है। सफल बोलीदाता किसी भी मामले में किसी अन्य उप संविदाकार अथवा अन्य किसी संगठन को नियोजित नहीं करेगा। निविदा सूचना के तहत उसे अपने अधिकारों तथा दायित्वों को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं है।

**11.** यदि बोलीदाता बिना किसी उचित कारण के निर्धारित अवधि के अंदर गटर अपशिष्ट की पूरी सामग्री नहीं हटाता है, तो इसे संविदा-भंग माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए संविदा को रद्द समाप्त करने का अधिकारी होगा तथा ईएमडी राशि भी जब्त कर ली जाएगी। इस मामले में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**12.** संविदा के समाप्त किए जाने अथवा रद्द किए जाने की स्थिति में बोलीदाता मुआवज़े क्षति अथवा अन्यथा के रूप में प्राधिकरण से किसी भी राशि/राशियों को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096.
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/GCA/449/2016-17/ Vol-I/ 12709 Dated 16/05/2018

## NOTICE INVITING TENDER

**SUBJECT:** **"HALF YEARLY CONTRACT FOR CLEANING, REMOVAL AND DISPOSAL OF GUTTER WASTE IN SEEPZ-SEZ PREMISES INCLUDING SEEPZ-SEZ RESIDENTIAL COMPLEX, 2018-19.**

The SEEPZ-SEZ Authority invites sealed tenders for "Half Yearly Contract for Cleaning, Removal and Disposal of Gutter Waste" on "AS IS WHERE IS CONDITION" at designated places/locations in SEEPZ-SEZ and SEEPZ-SEZ Residential Complex from the registered/empanelled vendors with SEEPZ-SEZ Authority. Work includes cleaning of gutters in SEEPZ-SEZ premises and SEEPZ-SEZ Residential Complex on daily routine basis, collecting the gutter waste and disposing off the same on daily routine basis.

## I) PROCEDURE FOR SUBMISSION OF TENDER :

1. Tender should be submitted by the empanelled vendors in a two bid system i.e. in two separate Envelopes as under:-

   Envelope-1: Super scribed **'Technical Bid'** should contain the documents required for technical eligibility, as stated in **sub-paragraph III**.

   Envelope-2: Super scribed **'Financial Bid'** should contain the bid value as stated in **sub-paragraph IV.**

2. Both sealed Envelopes should be submitted together in large size single cover super scribing as **"HALF YEARLY MAINTENANCE CONTRACT FOR CLEANING, REMOVAL AND DISPOSAL OF GUTTER WASTE FROM SEEPZ-SEZ AND SEEPZ-SEZ RESIDENTIAL COMPLEX 2017-18"** on the top of the Envelop and address to **" The Estate Manager , SEEPZ SEZ Authority, Office of the Development Commissioner, SEEPZ SEZ, Andheri (East), Mumbai - 400 096".**

3. Sealed envelopes mentioned above will be received by this office on 05/06/2018 up to 02.30 P.M. by Post/Courier through bidder personally or their Authorized representative(s) or the same can be dropped in the Tender Box kept on the Ground floor, near Inward Section of DC Office, SEEPZ-SEZ, Mumbai.

4. Tender received late, unsealed and without superscription are liable to be rejected.

5. Tender notice shall be duly signed with seal of Company/Firm and complete in the printed form.

6. Every correction/deletion/addition/overwriting/slip pasted shall be signed by bidder.

7. Incomplete, ambiguous and conditional tenders will not be entertained.

8. Bidder shall submit the certificate of authorization of the Authorized Signatory. **(Applicable in case of the Association of person/Company/Partnership firm)**

9. In the event of the tender being submitted by a firm, it must be signed separately by each partner thereof, or in the event of the absence of any partner, it shall be signed on his behalf by a person holding a power of attorney authorizing him to do so.

10. Bidder should <u>quote the rates in words and in figure</u>; if the rates quoted in words, differ from the rate quoted in figure, the higher of the two will be taken as correct rate.

11. The quotation of rate for the tender should be accompanied by **Earnest Money Deposit (EMD) for Rs. 1.00 lakh (Rupees One Lakh Only) in the form of Demand Draft/Pay Order**, drawn on any nationalized or scheduled bank in favour of **"SEEPZ-SEZ Authority Fund"** payable at **Mumbai.** Cash payment, Cheque and other mode of payment shall not be accepted.

12. The tenders not accompanied by EMD and the required documents mentioned in Para-III, will be summarily rejected.

13. The bidder may represent themselves personally or through authorized representative, if any, at the time of opening of tender.

14. The Committee may, if so desire, relax/amend one or other condition to determine eligibility of the bidder, without assigning any reason, thereof. Any enquiry, after submission of the bid, shall not be entertained.

15. The SEEPZ-SEZ Authority reserves the right to reject any or all tenders at any time/stage, without assigning any reasons whatsoever and the decision of the SEEPZ-SEZ Authority shall be final and binding on all the bidders.

16. <u>In case of the withdrawal of the bid, the EMD will be forfeited</u>.

## II) <u>OPENING OF TENDER</u>:

1. The **ENVELOPE-1** super scribed **'Technical Bid'** will be opened on **<u>05/06/2018</u>** at **04.00 P.M.** in the Office of the Development Commissioner, 2nd Floor, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai in the presence of bidders and or their representative(s) who may like to be present before the Tender Committee and other Officers, so authorized".

2. The date and time for opening the **ENVELOPE-2** super scribed **'Financial Bid'** will be intimated at the time of opening the **ENVELOPE-1** super scribed **'Technical Bid'**.

3. All bids would be evaluated by Committee on the basis of documents provided for technical eligibility. After scrutinizing the documents, the Committee shall select the eligible bidders.

## (III) CRITERIA FOR PRE-QUALIFICATION ON THE BASIS OF THE TECHNICAL BID:

**ENVELOPE-1** super scribed **'Technical Bid'** submitted by the entities should contain the following documents to determine the Technical Eligibility for empanelment.

1. Bidder should be registered/empanelled with SEEPZ-SEZ Authority. Non registered/empanelled vendors will not be entertained.
2. Bidder shall submit the **Earnest Money Deposit (EMD) for Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only)** in the form of Demand Draft / Pay Order drawn on any Nationalized or Scheduled bank in favour of **"SEEPZ-SEZ Authority Fund"** payable at **Mumbai.**
3. Bidder should submit valid Registration Certificate / Certificate of "Maharashtra Pollution Control Board (MPCB)" for handling of Gutter Waste.
4. Copy of PAN, GST registration and Income Tax Return certificate of last three years of the firm.
5. Self declaration of acceptance of terms and conditions duly signed by the bidder/firm(s) in token of having understood and agreed to the same should be attached along-with the Tender document.
6. Bidder should not have any criminal background. In this regard, bidder have to submit an affidavit on Rs. 10/- stamp paper duly notarized.
7. **Proof in terms of copies of Work Order in respect of contract awarded by Central Government /Central Government PSU/Government of Maharashtra /Government of Maharashtra Autonomous Body / Industrial Area located in Maharashtra/Bank/reputed Private firms in previous 5 years. At least five clients list of above department/organization should be enclosed.**
8. An Affidavit duly notarized stating that the agency/firm has not been blacklisted nor come any adverse notice by any office of Government/ Semi-Government/ Public Sector undertaking.
9. An undertaking stating that the bidder shall not assign, transfer, pledge or sub contract the performance of services of part of services and shall further undertake to comply with the terms and conditions of the Tender documents.
10. The bidder should have its principal place of business at Mumbai. In this regard, documentary evidence to that effect such as Certificate of Incorporation, Certificate of commencement of business, Shop and Establishment License, Agreement/s acquiring the premises, Electricity bill, Telephone bill etc, should be enclosed with technical bid.

## IV) CRITERIA FOR PRE-QUALIFICATION ON THE BASIS OF THE FINANCIAL BID:

1. **ENVELOPE-2** super scribed **"Financial Bid"** will be opened only for eligible bidders.
2. **ENVELOPE-2** super scribed **"Financial Bid"** should contain the Bid Value.
3. Financial Bid should contain the rates per kg (exclusive of payable taxes) **"AS IS WHERE IS CONDITION".**
4. **The sale proceed so realized on the Gutter Waste will be treated as price inclusive of Customs duty, excluding in respect gutter waste of SEEPZ-SEZ Residential Complex.**

(Mahesh Yadav)
Estate Manager,
SEEPZ-SEZ Authority

## ANNEXURE -A

(I) **PRIMARY DETAILS**:

1. Name of the Firm:
2. Office Address :
3. Contact No.:
4. E-mail address:

(II) **PRE-QUALIFICATION DETAILS**:

1. Bidder should be registered/empanelled with SEEPZ-SEZ Authority.

2. **Bidder shall submit the Earnest Money Deposit (EMD) for Rs.1,00,000/- (Rs. One Lakh Only)** in the form of Demand Draft/ pay order drawn on any nationalized or scheduled bank in favour of **"SEEPZ-SEZ Authority Fund"** payable at **Mumbai.**

3. Contractor should submit valid Registration Certificate / Certificate of "**Maharashtra Pollution Control Board (MPCB)' for handling of gutter waste."**

4. Copy of PAN, GST Registration and Income Tax Return of last three years of the firm.

5. Self declaration of acceptance of terms and conditions duly signed by the bidder/firm(s) in token of having understood and agreed to the same should be attached along-with the Tender document.

6. **Proof in terms of copy of work order in respect of contract awarded by Central Government /Central Government PSU/Government of Maharashtra / Government of Maharashtra Autonomous Body/industrial area located in Maharashtra/Bank/reputed private firms in previous 5 years. At least five clients list of above mentioned department/organization should be enclosed.**

7. An Affidavit duly notarized stating that he has not been blacklisted nor come any adverse notice by any office of Government/ semi- Government/ Public Sector undertaking.

8. Bidder should not have any criminal background. In this regard, bidders have to submit an affidavit on Rs. 10/- stamp paper duly notarized.

9. An undertaking stating that the bidder shall not assign, transfer, pledge or sub contract the performance of services of part of services and shall further undertake to comply with the terms and conditions of the Tender documents.

10. The bidder should have its principal place of business at Mumbai. The Successful Applicant shall submit the documentary evidence to that effect such as Certificate of Incorporation/Certificate of commencement of business/Shop and Establishment License/Agreement/s acquiring the premises/Electricity bill or Telephone bill etc.

ANNEXURE-B

## "FINANCIAL BID FORMAT FOR "GUTTER WASTE"

| Sl. No. | Description | Rate per Kg. (in Rs.) (in figure) | Rate per Kg. (in Rs.) (in Words) |
|---|---|---|---|
| **1** | Removal/Disposal of gutter waste from SEEPZ-SEZ premises including SEEPZ-SEZ Residential Complex excluding custom duty and GST. | | |

***Rate should be excluded Customs duty and GST***

We undertake that the rates quoted above by us will not change during the Contract period and accept the payment schedule as described in the appropriate column.

Date: ____________

Name & signature of the bidder
with company seal

## OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. **Successful bidder will be required to make the payment of Rs. 5,00,000/- (Rs. Five Lacs),** within **07 days** from the date of finalization of the bid, in the form of Demand Draft drawn on any nationalized or scheduled bank in favour of **"SEEPZ SEZ Authority Fund"** payable at **Mumbai.** Failure to make the payment in stipulated period will result into cancellation / termination of the contract and thereby the **EMD amount will be forfeited.** On receipt of Rs. **5,00,000/- (Rs. Five Lacs),** the Work Order will be issued.

2. On receipt of **Rs. 5,00,000/- (Rs. Five Lacs ),** the successful bidder will be allowed to clean, lift and dispose the gutter waste of equivalent value. Again the bidder will have to deposit **Rs. 5,00,000/- (Rs. Five Lacs)** for further removal of waste of equivalent value. The said cyclic process will be continued till 6 months for cleaning the gutter / removal of waste and disposal of the material. The entire material will have to be lifted regularly for 6 months on **"AS IS WHERE IS CONDITION"** from the date of issue of Work Order.

3. Cleaning, lifting and removal of the waste materials shall be done only under the supervision of Caretaker or any other representative nominated by the Authority for the said purpose.

4. All costs in connection with Cleaning, lifting, removing and disposing of the gutter waste materials will be borne by the successful bidder and no expenditure will devolve on the Authority.

5. Spreading or Drying or Segregation of the materials in the Zone will not be allowed.

6. Cleaning, Lifting and Removing of the gutter waste materials will be allowed from designated places for the purpose only and after issuance of necessary permissions by the Estate Manager.

7. Successful bidder shall be responsible for all cleaning aspect of gutter during the contract period.

8. **Weighing Procedure:** The empty vehicle will be weighed on the weighing bridge. Thereafter, weighing will be done again after loading of gutter waste in the vehicle, under the supervision of Caretaker or any other representative nominated for the purpose by the Authority. The difference in weighing will be considered as weight of the gutter waste.

9. **Billing:** The bill shall be prepared by the Authority after determination of weight of gutter waste, as per the rate at which, the bid has been allowed. Applicable taxes on the bill will also be payable by the successful bidder.

10. Tender is not transferable. The successful bidder shall not engage to any sub-contractor or any other Organization in any matter and also not permitted to transfer their rights and obligations under the Tender Notice.

11. In case the bidder fails to remove the whole material of gutter waste, within stipulated period, without any justifiable reasons, the same will be treated as breach of contract and in that case the Authority will have the right to cancel/terminate the Work Order without assigning any reason and EMD amount will be forfeited. No representation will be entertained in this regard.

12. On termination or cancellation of contract, the successful bidder shall not be entitled for any sum or sums, whatsoever, from the Authority by way of compensation, damages or otherwise.